भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 296*

20 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं

***296. श्री ईश्वरस्वामी के.:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर तमिलनाडु सहित चुनिंदा स्मार्ट शहरों में विकास परियोजनाओं के लिए कितनी मलिन बस्तियां ध्वस्त की गई हैं;

(ख) क्या स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले झुग्गियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास करने के लिए राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मिशन के अंतर्गत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए अब तक संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेषकर तमिलनाडु सहित उक्त शहरों में शुरू की जाने वाली या कार्यान्वित की जा रही पुनर्वास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

'तमिलनाडु में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं' के संबंध में दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 296* (16वां स्थान) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण राज्य के विषय हैं। इसके अलावा, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243ब) के अनुसार, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन भी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के इन प्रयासों में सहायता करती है। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम्) के तहत 11 शहरों में से केवल 5 शहरों *अर्थात* चेन्नई, कोयंबटूर, तिरुपुर, इरोड और वेल्लोर ने विभिन्न विकास परियोजनाओं विशेष रूप से शहरी जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए 39 स्लम-बस्तियों को ध्वस्त कर दिया है और उनके लिए पुनर्वास कार्य किए हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख): तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी स्मार्ट सिटीज को क्षेत्र-आधारित विकास (एबीडी) परियोजना क्षेत्रों के भीतर स्लम-बस्तियों को स्थानांतरित करने और उससे प्रभावित निवासियों को आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ उपयुक्त आवास इकाइयां आबंटित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

(ग): तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इन 5 शहरों में स्लम-बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए 64.02 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और उसका उपयोग किया गया है। इस राशि में केंद्र और राज्य निधि के 50-50% हिस्से के आधार पर संबंधित विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) द्वारा लाभार्थी अंशदान के रूप में 'तमिलनाडु शहरी आवास विकास बोर्ड' को भुगतान किया गया है, जिसका विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ): तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी पुनर्वास परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं।

*****

अनुलग्नक-I

'तमिलनाडु में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं' के संबंध में 20.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 296* (16वां स्थान) के भाग (क) का उत्तर

तमिलनाडु राज्य में एससीएम के अंतर्गत 05 शहरों में ध्वस्त की गई स्लम-बस्तियों का विवरण

क्र.सं.	**स्मार्ट सिटी का नाम**	**स्लम बस्तियों की संख्या**	**विकास परियोजनाओं का विवरण**
1	चेन्नई	1	विल्लीवाक्कम टैंक का नवीनीकरण
2	कोयंबटूर	23	झील पुनरुद्धार परियोजनाएं
3	तिरुपुर	9	नदी तट विकास - नोयल नदी
4	इरोड	5	पेरुम्पल्लम चैनल सौंदर्यीकरण
5	वेल्लोर	1	भूमिगत सीवरेज योजना परियोजनाओं का कार्यान्वयन
	कुल	**39**	

तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार।

*****

अनुलग्नक-II

'तमिलनाडु में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं' के संबंध में 20.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 296* (16 वां स्थान) के भाग (ग) का उत्तर

तमिलनाडु राज्य में एससीएम के अंतर्गत चयनित शहरों में स्लम-बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा।

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**स्मार्ट सिटी का नाम**	**स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई निधि (केंद्र तथा राज्य निधि का 50-50 प्रतिशत हिस्सा) लाभार्थी अंशदान के रूप में**
1	चेन्नई	15.22
2	कोयंबटूर	30.21
3	तिरुपुर	4.03
4	इरोड	14.19
5	वेल्लोर	0.37
	कुल	**64.02**

तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार।

*****